न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र

(आर.ए.एस.)

143/2022

...एमएस : 2022/406

1. कृष्णलाल पुत्र श्री हंसराज जाति बिश्नोई साकिन 4 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

—: प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट,

तारीख रजू:— 13.07.2022

उपस्थित: 1. श्री अजय धारणियां अधि. वादी।

2. राजपेरोकार सरकार प्रतिवादी

—निर्णय— दिनांक : 15.01.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम से चक 35 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2074—2077 खतौनी संख्या 154/139 मु.नं. 41 पं.नं. 128/309 में 6.325 है. नहरी भूमि व मु.नं. 42 पं.नं. 129/309 में 6.325 है. नहरी भूमि कुल तादादी 12.650 है. नहरी भूमि में वादी की 1/6 हिस्सा तादादी 2.108 है. नहरी खातेदारी भूमि है उक्त भूमि वादी को अपने पिता श्री हंसराज के देहान्त के पश्चात बतौर विरास्तन में प्राप्त हुई है तथा वादी के नाम से राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुई तब वादी का नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय वादी का नाम कृष्णकुमार दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का सही नाम कृष्णलाल है तथा यही नाम मेरे तमाम दस्तावेज मूल निवास प्रमाण—पत्र., परिवार पहचान—पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि में है इसलिए वादी राजस्व अभिलेखों में कृष्णलाल पुत्र हंसराज संशोधन करवाकर दर्ज करवाना चाहता है तथा इस भूमि का इसी सही नाम से बाद दुरुस्ती खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी हूँ वादी ने अपना नाम बदलने के लिए सक्षम अधिकरी को निवेदन किया तो उन्होने कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आये तो ही रिकार्ड मे तब्दीली करेंगें। इसलिए वादी को वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार में है उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्न प्रकार से डिक्री करने की कृपा करे। वाके चक 35 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2074—2077 खतौनी संख्या 154/139 मु.नं. 41 पं.नं. 128/309 में 6.325 है. नहरी भूमि व मु.नं. 42 पं.नं. 129/309 में 6.325 है. नहरी भूमि कुल तादादी 12.650 है. नहरी भूमि में वादी की 1/6 हिस्सा तादादी 2.108 है. नहरी खातेदारी भूमि है उक्त भूमि में मुझ वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में कृष्णकुमार लिखा हुआ है [illegible] कृष्णलाल पुत्र श्री हंसराज अंकित किए जाने की डिक्री पारित की जाकर वादी को [illegible] यानि कृष्णलाल पुत्र श्री हंसराज के नाम से खातेदार घोषित किया [illegible] किया गया। तहसीलदार

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी [illegible] जरिए सम्मन [illegible] तरफ से कोई हाजिर नही से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु पत्र जारी किया [illegible] पेश कर निवेदन किया हुए। वादी द्वारा दिनांक 02.01.2025 को [illegible] सिंहनगर का निवासी हूँ। मैं कि मैं कृष्णलाल पुत्र श्री हंसराज साकिन 4 टीके तहसील [illegible] मेरा सही व दुरूस्त नाम कृष्णलाल है कृषि भूमि में मेरा नाम कृष्णकुमार दर्ज किया हुआ है। मेरा सही व दुरूस्त नाम कृष्णलाल है में अपना आधार कार्ड भी पेश किया है कृष्णलाल व कृष्णकुमार एक ही व्यक्ति है। अगर उक्त

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.28 16:30:05 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

...पत्र से संबंधित कोई भी कानूनी कार्यवाही होती है तो उसका का जिम्मेदार मैं खुद ...।

...अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि वाके चक ...एम.एल. तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2074–2077 खतौनी संख्या 154/139 ...41 पं.नं. 128/309 में 6.325 है. नहरी भूमि व मु.नं. 42 पं.नं. 129/309 में 6.325 है. ...भूमि कुल तादादी 12.650 है. नहरी भूमि में वादी की 1/6 हिस्सा तादादी 2.108 है. ...खातेदारी भूमि है उक्त भूमि में मुझ वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में कृष्णकुमार लिखा ...है को दुरूस्त किया जाकर कृष्णलाल पुत्र श्री हंसराज अंकित किए जाने की डिक्री ...जावे। मेरे पहचान दस्तावेज में मेरा नाम कृष्णलाल पुत्र श्री हंसराज है जिसके संबंध में ...द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया है जिसमें अंकित है कि कृष्णलाल व कृष्णकुमार एक ही ...है।

...सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में संलग्न पहचान दस्तावेज, वाद ...शपथ पत्र आदि का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत ...प्रावधानों का अध्ययन किया। उक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार ...जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

...उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं ...36–राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ...रिकार्ड के चक 35 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2074–2077 खतौनी ...संख्या 154/139 मु.नं. 41 पं.नं. 128/309 में 6.325 है. नहरी भूमि व मु.नं. 42 पं.नं. ...129/309 में 6.325 है. नहरी भूमि कुल तादादी 12.650 है. नहरी भूमि में वादी की 1/6 ...हिस्सा तादादी 2.108 है. नहरी खातेदारी भूमि में कृष्णकुमार पुत्र श्री हंसराज के स्थान पर ...कृष्णकुमार उर्फ कृष्णलाल पुत्र श्री हंसराज दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है उक्त ...खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री ...की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर ...नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

सुभाषचन्द्र
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
(आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सुभाषचन्द्र
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
(आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.28 16:30:05 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner